नक्शानुसार रखा गया है। माफिक बंट अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं होने एवं सरकारी सहायता आदी नहीं मिल पाने के कारण यह वाद पेश किया जा रहा है। राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है। जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ ने वकालतनाम मय इकबाली जवाब के पेश कर वाद से सहमति जताई। प्रतिवादी संख्या 2 को जारी सम्मन की पर्याप्त तामिल के बावजूद, न तो स्वमं न्यायालय हाजा में उपस्थित आये एवं न ही इनकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित आये, लिहाजा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने एवं प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने व प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा नीम नगर के खाता संख्या 127 प्रदर्ष–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा खिंयावास के खाता संख्या 84 प्रदर्ष–2, कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से इकबाली जवाब पेश होने एवं प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को वाद पत्र के पैराज के अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र को वाद पत्र के पैराज के अनुसार डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। घोषणा खातेदारी वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है पक्षकारान द्वारा वाद पत्र को वाद पत्र के पैराज अनुसार आपसी सहमति के अनुसार डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। मौजा नीमनगर में खसरा नम्बर 880/1 रकबा 6.6854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 883/1 रकबा 4.9533 हैक्टेयर व मौजा खींयावास में खेत खसरा नम्बर 817 रकबा 2.7276 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार कृषक घोषित किया जाकर वार पत्र को डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश ::—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी उम्मेदसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नीमनगर के खसरा नम्बर 880/1 रकबा 6.6854 हैक्टेयर में से रकबा 5.5764 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 883/1 रकबा

सहायक कलक्टर
(एज.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

4.9533 हैक्टेयर में से रकबा 0.2428 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

2. वादी संख्या 2 श्रवणसिंह, वादी संख्या 3 विनोद कंवर व प्रतिवादी संख्या 1 भंवरसिंह के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा निमनगर के खसरा नम्बर 880/1 रकबा 6.6854 हैक्टेयर में से रकबा 1.1090 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 883/1 रकबा 4.9533 हैक्टेयर में से रकबा 3.5370 हैक्टेयर उत्तरी–पश्चिमि हिस्सा नजरी नक्शानुसार एवं मौजा खींयावास के खसरा नम्बर 817 रकबा 2.7276 हैक्टेयर में से रकबा 1.7644 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 सुरेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नीमनगर के खेत खसरा नम्बर 883/1 रकबा 4.9533 हैक्टेयर में से रकबा 1.1735 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार तथा मौजा खिंयाबास के खसरा नम्बर 817 रकबा 2.7276 हैक्टेयर में से रकबा 0.9632 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
4. उक्त खसरा में बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 29-09-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner